Registration No-MJCR245/2022
Filling No-MJCR/467/2022
C.N.R. No-MP-28070015192022

Filling Date- 20-10-2022

पक्षकारगणः– रमेश वर्मा विरूद्ध म0प्र0 शासन

29.10.22 पीठासीन न्यायाधीश के अवकाश पर होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।

आवेदक **रमेश वर्मा पिता राधेलाल वर्मा उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम बोरीमाल, तह0 थाना अमरवाडा** सहित/द्वारा अधिवक्ता **श्री प्रदीप वर्मा अधि.** उपस्थित।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 457 दं0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

संबंधित आरक्षी केन्द्र से केस डायरी प्राप्त।

आवेदक से संबंधित वाहन आरक्षी केन्द अमरवाड़ा में जप्त होना दर्शित है।

आवेदन पत्र के माध्यम से प्रगट किया गया है कि, आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा, द्वारा वाहन **वाहन टी0व्ही0एस0 ज्यूपिटर जिसका इंजन कमांक– GG5KM1412766** को जप्त किया गया है। प्रकरण के निराकरण एवं विचारण में अभी समय लगने की संभावना है। वाहन की आवश्यकता दिन–प्रतिदिन होती रहती है। वाहन के आरक्षी केन्द्र पर रखे रहने से खराब होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। आवेदक न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः वाहन सुपुर्दगी मय दस्तावेज पर सौंपे जाने का निवेदन किया है।

शासन की ओर से आवेदन का मौखिक विरोध किया है।

आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुना गया।

केस डायरी/प्रकरण का परिशीलन से स्पष्ट है कि, पुलिस आरक्षी केन्द अमरवाड़ा के अपराध **कमांक–608/2022 में आवेदक के वाहन टी0व्ही0एस0 ज्यूपिटर जिसका इंजन कमांक– GG5KM1412766** मो0 अधि0 में मय दस्तावेज जप्त किया गया है।

जप्तशुदा वाहन का आवेदक का वाहन खरीदी का इनोवाईस बीमा एवं वाहन चालक की चालक अनुज्ञप्ति प्रकरण में संलग्न है। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन की खरीदी की इनोवाईस के अवलोकन से आवेदक वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। न्यायिक दृष्टान्त **संदरभाई अंबालाल देसाई विरूद्ध स्टेट ऑफ गुजरात ए.आई.आर. 2003 एम.सी.638** में प्रतिपादित किया गया है कि, धारा 457 दं.प्र.सं. के आवेदनों का शीघ्रता से

और न्यायिक रीति से निराकरण करना चाहिये, संपत्ति बिना उपयोग के पड़ी रहने से उसके दुर्व्यपन की संभावना होती है, जिसके कारण संपत्ति के मालिक को हानि उठाना पड़ती है। वाहनों की दशा में यांत्रिक खराबी आने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। वाहन की अतिआवश्यक कार्यों के लिए आवेदक को आवश्यकता होना स्वाभाविक है। अतः आवेदक वाहन स्वामी होने से वाहन प्रकरण के निराकरण तक अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर निर्देशित किया जाता है कि, आवेदक की ओर से 1,00,000/–रूपये (एक लाख रूपये) का सुपुर्दनामा निम्नलिखित शर्तों के साथ पेश किया जाता है, तो आवेदक का वाहन अंतरिम सुपुर्दगी पर रिहा किया जावे किः–

01. आवेदक वाहन के रंग रूप में परिवर्तन नहीं करेंगा।

02. वाहन का किसी भी प्रकार से व्ययन नहीं करेंगा।

03. वाहन की आवश्यकता होने पर न्यायालय के समक्ष स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेंगा।

04. वाहन को शासन के नियर्मों के विपरीत उपयोग नहीं करेंगा।

05. आवेदक/सुपुर्ददार उपरोक्त वाहन के संबंध में स्वामित्व का विवाद उद्भूत होने पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार व जवाबदार होंगे।

उपरोक्त शर्तों के साथ आवेदक द्वारा सुपुर्दनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा वाहन का मूल रजिस्ट्रेशन तस्दीक हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो **वाहन टी0व्ही0एस0 ज्यूपिटर जिसका इंजन कमांक– GG5KM1412766** को आवेदक को आरक्षी केन्द्र अमरवाड़ा द्वारा अंविलम्ब अंतरिम अभिरक्षा में सौंपा जावेंगा।

संबंधित मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति पेश करने पर संलग्न किए जावें। उक्त शर्तो के साथ सुपुर्दगीनामा पेश किए जाने पर वाहन का रिहाई आदेश जारी हो।

केस डायरी वापस हो।

सही/–
वास्तेः– {उदयाजीत कुंवर राव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा

पुनश्चः

आवेदक/सुपुर्ददार– **रमेश वर्मा पिता राधेलाल वर्मा उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम बोरीमाल, तह0 थाना अमरवाडा** द्वारा का सुपुर्दनामा 1,00,000/–(एक लाख रूपये) का **वाहन टी0व्ही0एस0 ज्यूपिटर जिसका इंजन कमांक– GG5KM1412766** का पेश शर्तों के अधीन पेश किया गया।

सुपुर्दगीदार की पहचान **आधार कार्ड** द्वारा की गई, जो तस्दीक उपरांत स्वीकार किया गया।

प्रकरण का परिणाम सीआईएस में दर्ज कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उक्त पत्रावली संलग्न करें।

सही/–

वास्तेः– {उदयाजीत कुंवर राव}
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अमरवाड़ा

PARMANAND SANODIYA

Digitally signed by PARMANAND SANODIYA
Date: 2022.10.29 17:18:00 +0530